



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126344-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23424 वर्ष 2026

राजा उपाध्याय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय रिज़र्व बैंक और 4 अन्य

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पीयूष श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-5 के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

I. परमादेश की प्रकृति में कोई उपयुक्त रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी सं० 3 को यह आदेशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसकी शाखा प्रबंधक, शाखा- सहकारी बाजार, उदयपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान शाखा में संधारित बैंक खाता सं० 00000042098124588, आईएफएस कोड - एसबीआईएन0031446 पर लगाए गए डेबिट फ्रीज को तत्काल प्रभाव से हटा दे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

II. प्रतिवादी सं० 1 को रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए यह आदेशित किया जाए कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवादी सं० 2 विधि के अनुसार कठोरतापूर्वक कार्य करे तथा कथित विवादित संपूर्ण राशि की वापसी हो जाने के दृष्टिगत याचिकाकर्ता के उपर्युक्त बैंक खाते पर लगाए गए डेबिट फ्रीज को हटाए।”

3. याचिका की दलीलों और याचिका से जुड़े दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा एक नोटिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के खाते में राशि शिकायत में शामिल राशि से अधिक है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसके खाते को फ्रीज करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता अपने खाते से कोई लेनदेन करने में सक्षम नहीं है। रिट याचिका के अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न शिकायत से यह भी पता चलता है कि सहायक पुलिस अधीक्षक का नोटिस शिकायत में उल्लिखित कुल राशि को रखने और उक्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सहकारी बाजार, उदयपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान के साथ याचिकाकर्ता के खाता संख्या-42098124588 (आई.एफ.एस. कोड- एसबीआईएन0031446) में फ्रीज करने के लिए था।

4. संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि बैंक कानून के अनुसार विवादित राशि को चिह्नित कर सकता है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बैंक की कार्रवाई सही प्रतीत होती है, लेकिन केवल विवादित राशि की सीमा तक, इसके अलावा इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

5. इस न्यायालय ने **आशीष रावत बनाम भारत संघ और अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 2572** में इसी मुद्दे पर विचार किया है। इस न्यायालय ने धारा 106 बी.एन.एस.एस. के तहत जब्ती के उद्देश्य से "संपत्ति" शब्द पर चर्चा की और माना कि:

"36 ... नतीजतन, हम मानते हैं कि जब्ती की शक्ति कथित या संदिग्ध राशि की सीमा तक सीमित है और धारा 106 बी.एन.एस.एस. में निर्धारित दोहरी शर्तों के अभाव में बैंक खाते के पूरे संचालन को फ्रीज करने की अनुमति देने के लिए नहीं समझा जा सकता है, जो पुलिस अधिकारी को जब्त करने का अधिकार देता है। संपत्ति एक विशिष्ट राशि होने के



कारण, बैंक खाते में पड़ी पूरी राशि को फ्रीज नहीं किया जा सकता है और बैंक खाते के संचालन से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. आशीष रावत (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश पारित किए हैं और उनमें से एक में संकेत दिया गया है कि खाते को डी-फ्रीज करने के लिए बैंक खाताधारक को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए। उपर्युक्त निर्देश इस प्रकार है:

"55.2 याचिकाकर्ता क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां भी बैंक खाता बी.एन.एस.एस. की धारा 106 का अनुपालन न करने में फ्रीज कर दिया जाता है या यहां तक कि अनुपालन की स्थिति में भी यदि उन्हें लगता है कि पूरे खाते को डीफ्रीज करने की आवश्यकता है क्योंकि फ्रीजिंग का आरोप गलत या अनुचित है।"

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच एजेंसी, यानी साइबर-अपराध विभाग द्वारा इंगित केवल विवादित राशि को ग्रहणाधिकार से चिह्नित करे और याचिकाकर्ता के खाता संख्या-42098124588 वाले बैंक खाते को सामान्य उपयोग के लिए चालू करे। याचिकाकर्ता को उस राशि के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की स्वतंत्रता है, जिस पर बैंक द्वारा ग्रहणाधिकार चिह्न लगाया गया है और मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लेगा।

8. हालांकि, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जांच एजेंसी और बैंक कानून के अनुसार बैंक खाते को फ्रीज करने सहित कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि भविष्य में, याचिकाकर्ता के खाते में अन्य संदिग्ध प्रविष्टियां पाई जाती हैं।

9. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी)

(न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

9 जून 2026

पी.पी.